न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:– 12/159/2025 दायर दिनांक:–10.11.2025 रजि0 न0 2025/382

अपीलार्थी:–	प्रत्यर्थी:–
श्री राजेन्द्र सिंह नरूका, नि० ग्राम–बरोठ, तहसील–कठूमर, जिला–अलवर (राज०)–321605	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांक:– 08.12.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 04.08.2025 के संबंध में किसी प्रकार की सूचना नहीं मिलने बाबत अपील पेश की गई है।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 17.11.2025 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी ने जवाब अपील पत्रांक लो०सू०अ०/प्रथम अपील/2025/2133 दिनांक 03.12.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 04.08.2025 को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार (आई०पी०ओ० सं० 46F 245787) के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में ही माननीय न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की जा चुकी है जो कि जरिये अपील प्र०सं० 12/149/2025 निर्णय दिनांक 28.10.2025 के माध्यम से खारिज कर निस्तारित की जा चुकी है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना के क्रम में अपील प्र०सं० 12/149/2025 निर्णय दिनांक 28.10.2025 के माध्यम से खारिज कर निस्तारित की जा चुकी है। इस प्रकार एक ही सूचना आवेदन पर बार–बार अपील श्रवण योग्य नहीं है। अतः उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी खारिज कर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
7. आज दिनांक 08.12.2025 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डा. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर